सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 17.06.2026

जनपद-आजमगढ़

01.साइबर सेल, जनपद आजमगढ

देशव्यापी साइबर ठगी नेटवर्क पर आजमगढ पुलिस का बड़ा प्रहार, 448 साइबर शिकायतों से जुड़े संगठित गिरोह का भंडाफोड़

समन्वय पोर्टल से मिला सुराग

फर्जी फर्म(TWINBUILD WELL, RJ INFRA), म्यूल खाते और करोड़ों के साइबर फ्रॉड का खुलासा, 04 शातिर गिरफ्तार, ₹10 लाख की धनराशि कराई गई फ्रीज

"साइबर ठगी के जड़ में वार" अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, ₹40 लाख के संदिग्ध ट्रांजेक्शन, विदेशी सिम, फर्जी दस्तावेज व लग्जरी वाहन बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान "साइबर ठगी के जड़ में वार" के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री चिराग जैन व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज श्रीवास्तव के निर्देशन में साइबर सेल, आजमगढ़ एवं थाना अहरौला पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए संगठित साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो फर्जी फर्मों एवं बैंक खातों के माध्यम से देशभर में साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के लेन-देन में संलिप्त थे। प्रारंभिक जांच में गिरफ्तार अभियुक्तों का संबंध देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज सैकड़ों साइबर अपराध शिकायतों से पाया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.06.2026 को संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान समन्वय पोर्टल पर प्राप्त म्यूल खातों की जांच से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुईं। साइबर सेल द्वारा की गई तकनीकी एवं वित्तीय जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि भारतीय स्टेट बैंक में फर्जी फर्मों के नाम पर खोले गए बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के लेन-देन हेतु किया जा रहा था। वित्तीय विश्लेषण के दौरान इन खातों के संबंध में एनसीआरपी पोर्टल पर कुल 448 साइबर शिकायतें दर्ज पाई गईं। जांच में यह भी सामने आया कि एक बैंक खाते में मात्र 03 दिनों के भीतर लगभग ₹40 लाख का संदिग्ध लेन-देन किया गया था।

आजमगढ़ पुलिस की तत्परता, तकनीकी दक्षता एवं संबंधित बैंकों तथा एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय के परिणामस्वरूप साइबर अपराध से संबंधित लगभग ₹10 लाख की धनराशि फ्रीज कराई गई, जिससे पीड़ितों की रकम सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर साइबर सेल एवं थाना अहरौला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दुर्वासा मंदिर के पास प्रभावी घेराबंदी कर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ, डिजिटल

साक्ष्यों एवं बरामद दस्तावेजों के आधार पर साइबर अपराध में उनकी संलिप्तता प्रमाणित हुई। जिसके आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 243/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/111 बीएनएस 66सी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

<u>साइबर ठगी का तरीका-</u>

गिरोह के सदस्य फर्जी फर्मों का निर्माण कर बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से उनके नाम पर करंट अकाउंट खुलवाते थे। करंट अकाउंट का उपयोग बड़े पैमाने पर एवं निरंतर धनराशि के लेन-देन के लिए किया जाता था, जिससे साइबर ठगी से प्राप्त रकम को तेजी से विभिन्न खातों में स्थानांतरित किया जा सके। अभियुक्त भोले-भाले व्यक्तियों को लालच अथवा झांसा देकर उनके नाम पर फर्म एवं बैंक खाते खुलवाते थे। इसके बाद पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड तथा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने कब्जे में लेकर साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि को इन खातों में प्राप्त करते, निकालते एवं अन्य खातों में ट्रांसफर करते थे। बाद में इस अवैध धनराशि का गिरोह के सदस्यों के बीच बंटवारा किया जाता था।

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरणः-</u>

01. मु0अ0सं0 243/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/111 बीएनएस 66सी आईटी एक्ट थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>

1. सुधाकर पुत्र राम समुझ, निवासी– ग्राम इटौरा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
2. नितिन मिश्रा पुत्र हरेन्द्र मिश्रा, निवासी– ग्राम मखदूमपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र– लगभग 24 वर्ष।
3. नवनीत सिंह पुत्र राकेश सिंह, निवासी– ग्राम शम्भूपुर पुरा गहजी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र– लगभग 27 वर्ष।
4. सुमित सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह, निवासी– ग्राम बाकरकोल, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र– लगभग 32 वर्ष।

अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

* 06 अदद एटीएम/डेबिट कार्ड
* कूटरचित मुहरें
* फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं वोटर आईडी कार्ड
* 02 अदद ब्लैंक चेक
* 01 अदद विदेशी सिम कार्ड
* 04 अदद मोबाइल फोन
* विभिन्न व्यक्तियों के नाम से जारी पहचान पत्र
* 01 अदद महिन्द्रा थार ROXX वाहन संख्या UP 50 DE 7003
* 01 अदद होंडा मोटरसाइकिल संख्या UP 50 DD 5109

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम – साइबर सेल</u>

1.उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम, प्रभारी साइबर सेल
2.मु0आ0 ओमप्रकाश जायसवाल, साइबर सेल
3.मु0आ0 मुकेश भारती
4.आरक्षी सतेन्द्र यादव, साइबर सेल

गिरफ्तारी करने वाली टीम – थाना अहरौला-

1.उ0नि0 मंतोष कुमार सिंह, थानाध्यक्ष अहरौला
2.उ0नि0 यश सिंह पटेल
3.हे0का0 इन्द्रमणि पटेल
4.का0 अरमान
5.रि0का0 अनूप यादव

जनहित अपील-

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने नाम से बैंक खाता, फर्म अथवा सिम कार्ड उपलब्ध न कराएं। किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि की सूचना तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन पर दें। साइबर अपराध के विरुद्ध जनपद पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

02. थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

पूर्व माध्यमिक विद्यालय खरिहानी में हुई चोरी का सफल अनावरण, 02 शातिर चोर गिरफ्तार

चोरी गया स्मार्ट पैनल, यूपीएस, खेल सामग्री एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद, एक अभियुक्त फरार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरवां पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना तरवां पुलिस द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय खरिहानी में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.05.2026 को वादी श्री संजय सिंह पुत्र स्व. विजय वर्मा सिंह, प्रधानाचार्य पूर्व माध्यमिक विद्यालय खरिहानी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना तरवां पर सूचना दी गई कि विद्यालय के कार्यालय एवं प्रयोगशाला का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा स्मार्ट टीवी पैनल, यूपीएस, कार्यालय एवं खेल सामग्री सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरवां पर मु0अ0सं0 102/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम लगातार प्रयासरत थी।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण-

दिनांक 15/16.06.2026 की रात्रि में उ0नि0 कान्ता प्रसाद पाल मय हमराह क्षेत्र में गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर आदर्श इण्टर कॉलेज खरिहानी के पीछे स्थित झाड़ियों के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया।

→ गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गया निम्न सामान बरामद हुआ—

- 01 अदद BENQ इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल टीवी (65 इंच)
- 01 अदद यूपीएस
- 01 अदद स्पोर्ट्स किट बैग
- 03 जोड़ी बैडमिंटन रैकेट
- 02 पैकेट शटल कॉक
- 01 अदद प्लास्टिक क्रिकेट बैट
- 03 अदद स्टम्प मय स्टैण्ड
- 01 अदद Zebronics की-बोर्ड
- 01 अदद वायरलेस माउस
- 01 अदद एयरटेल वाई-फाई राउटर
- 02 अदद बैडमिंटन नेट
- 01 अदद बास्केटबॉल
- 05 अदद स्किपिंग रोप
- 01 अदद HDMI केबल
- 01 अदद मॉनिटर केबल

➡ पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा विद्यालय में चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1.इन्दल यादव पुत्र स्व. हीरा लाल यादव निवासी खरिहानी थाना तरवां जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष।
2.पवन कुमार पुत्र रमेश प्रसाद निवासी खरिहानी थाना तरवां जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0 102/2026, धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1.उ0नि0 कान्ता प्रसाद पाल, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
2.का0 अजय यादव, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
3.का0 रत्नेश कुमार सिंह, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
4.का0 उपेन्द्र कुमार, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

<u>03. थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़</u>
<u>ऑपरेशन वज्रपात के तहत बड़ी कार्रवाई</u>
<u>इंस्टाग्राम पर “गैंगेस्टर प्रभात 50” नाम से गैंग संचालित करने वाले तीन वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</u>

सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने एवं युवकों को भयभीत करने का प्रयास करने वालों पर थाना फूलपुर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान तथा "ऑपरेशन वज्रपात" के क्रम में सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना फूलपुर पुलिस ने इंस्टाग्राम पर "गैंगेस्टर प्रभात 50" नाम से गैंग संचालित करने वाले तीन वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

घटना का विवरण-

दिनांक 15.06.2026 को वादी मुकदमा अशफाक अहमद पुत्र जैनुद्दीन निवासी नेवादा, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई कि उनका पुत्र मो. सैफ अपने मित्रों मो. अरहान एवं मो. इस्माईल के साथ ग्राम मकदूमपुर, थाना अहरौला से मैच खेलकर रात्रि लगभग 01:00 बजे वापस लौट रहा था। रास्ते में दुर्वाषा धाम के पास तीन व्यक्तियों द्वारा उनकी मोटरसाइकिल रोककर नाम-पता पूछा गया तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपियों द्वारा तीनों युवकों को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया गया, जिसमें मो. सैफ किसी प्रकार बचकर निकल गया, जबकि उसके दोनों मित्रों को जबरन अपने साथ ले जाया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 202/2026 धारा 126(2)/140(1)/351(3)/352 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त प्रभात राय, रिशु एवं विजय के नाम प्रकाश में आए।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 16.06.2026 को व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़ मय हमराह द्वारा अभियुक्त प्रभात राय के घर के बाहर स्थित कुएं के पास से समय 03:55 बजे निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया—

1.प्रभात राय पुत्र मुकेश चन्द्र राय निवासी धर्मदासपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 29 वर्ष।

2.रिशु पुत्र खुन्नू सोनकर निवासी खुटौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 18 वर्ष।

3.विजय पुत्र सतई सोनकर निवासी खुटौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों को मुकदमा उपरोक्त में नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस की अपील-

आजमगढ़ पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग संस्कृति, भय एवं दबंगई का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत निरंतर कार्रवाई कर रही है। आमजन से अपील है कि ऐसे किसी भी आपराधिक अथवा असामाजिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

आपराधिक इतिहास-

1. प्रभात राय पुत्र मुकेश चन्द्र राय साकिन धर्मदासपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष

1-मु0अ0सं0 305/2017 धारा 147/323/354क/504/506 भादवि व 8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5क एससी/एसटी एक्ट

2-मु0अ0सं0 202/2026 धारा 129/140(1)/351(3)/352 बीएनएस

2. रिशु पुत्र खुन्नू सोनकर ग्राम खुटौली थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष

1-मु0अ0सं0 202/2026 धारा 129/140(1)/351(3)/352 बीएनएस

3. विजय पुत्र सतई सोनकर साकिन खुटौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

1-मु0अ0सं0 202/2026 धारा 129/140(1)/351(3)/352 बीएनएस

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- प्र0नि0 देवेन्द्र प्रताप सिंह, व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़, उ0नि0 दयानन्द, का0 नीरज कुमार यादव, का0 आदेश यादव, रिक्रूट आरक्षी अमित कुमार यादव, म0का0 शालू सिंह, रिक्रूट म0का0 सपना सिंह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

जनपद-मऊ

01.थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा छेड़खानी में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ एवं क्षेत्राधिकारी घोसी के कुशल पर्वेक्षण/नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा छेड़खानी के मामले में 01 नफर वांछित अभियुक्त रामप्रवेश उर्फ जगन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 कैलाश विश्वकर्मा सा0 कोटिया थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को ग्राम चकेसर स्थित जयराम चौहान के ईंट भट्टे के पास से आज दिनांक 16.06.2026 को सुबह समय 06.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 127/2026 धारा 74/75(2)/352 बीएनएस एवं 9/10 पास्को एक्ट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

1.रामप्रवेश उर्फ जगन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 कैलाश विश्वकर्मा सा0 कोटिया थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 40 वर्ष।

02. थाना कोपागंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ एवं क्षेत्राधिकारी घोसी के कुशल पर्वेक्षण/नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म मामले में वांछित 01 अभियुक्त सत्य प्रकाश पुत्र रामजन्म निवासी खालिसपुर थाना सराय लखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष को इन्द्रारा रेलवे स्टेशन के पास से आज दिनांक 16.06.2026 को समय करीब 09:30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 147/2026 धारा 137(2),64(1),352,351(3) BNS B 3/4 पोक्सो एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

1.सत्य प्रकाश पुत्र रामजन्म निवासी खालिसपुर थाना सराय लखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष

03. MRM पोर्टल के माध्यम से आवेदक के 7000 रुपए वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी मु0बाद गोहना नेतृत्व में थाना स्थानीय के साइबर पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के जांच के क्रम में आवेदक आशीर्वाद सिंह पुत्र शिवाजी सिंह निवासी करहा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ द्वारा साइबर पोर्टल पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा यूपीआई के माध्यम से आवेदक से पैसे का फ्रॉड हो जाने के संबंध में शिकायत की जांच के क्रम में थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम की उप निरीक्षक विकास कुमार क0आ0 संजय गुप्ता , म0आ0प्रिया सिंह व म०आ० शालिनी मौर्या द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदक के फ्रॉड की गई धनराशि 7000 /रु0 को उसके खाते में वापस कराया गया।

जनपद -बलिया

01.थाना सहतवार जनपद बलिया पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने से संबंधित 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी महोदय श्री दिनेश कुमार शुक्ला के निकट पर्यवेक्षण में व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बांसडीह महोदय श्री जयशंकर मिश्रा व थानाध्यक्ष सहतवार श्री प्रशांत चौधरी के कुशल नेतृत्व में थाना सहतवार पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-15.06.2026 को वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनाकं 16.06.2026 को थाना सहतवार पुलिस टीम के उ0नि0 दिनेश विश्वकर्मा मय हमराह के देखभाल क्षेत्र जांच प्रार्थना पत्र तलाश वांछित अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0सं0 138/26 धारा 3(5),109(1) बीएनएस में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण 1. संजीत बिन्द पुत्र अजय बिन्द निवासी महाधनपुर नई बस्ती थाना सहतवार जनपद बलिया 2. विजय कुमार पुत्र सत्यनारायण बिन्द निवासी महाधनपुर नई बस्ती थाना सहतवार जनपद बलिया को ग्राम महादनपुर नई बस्ती से गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 138/26 धारा 3(5),109(1) बीएनएस थाना सहतवार जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. संजीत बिन्द पुत्र अजय बिन्द निवासी महाधनपुर नई बस्ती थाना सहतवार जनपद बलिया
2. विजय कुमार पुत्र सत्यनारायण बिन्द निवासी महाधनपुर नई बस्ती थाना सहतवार जनपद बलिया

02.थाना रेवती जनपद बलिया पुलिस टीम द्वारा अपहरण से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय श्री संजय वर्मा के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी बैरिया महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना रेवती पुलिस टीम के उ0नि0 सचिन सरोज मय हमराह द्वारा आज दिनांक 16.06.2026 को मु0अ0सं0 174/2026 धारा 137(2),87 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अभिषेक राजभर पुत्र विरेन्द्र राजभर निवासी विशुनपुरा गोलापर थाना रेवती जनपद बलिया उम्र 20 वर्ष को समय करीब 09.00 बजे पुलिस हिरासत में लेकर थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

<u>सम्बन्धित अभियोग-</u>

1. मु0अ0सं0 174/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना रेवती जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.अभिषेक राजभर पुत्र विरेन्द्र राजभर निवासी विशुनपुरा गोलापर थाना रेवती जनपद बलिया उम्र 20वर्ष

<u>03. थाना कोतवाली जनपद बलिया पुलिस टीम चोरी से सम्बन्धित एक नफर अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।</u>

अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मो0सा0 ग्लैमर UP60Z7915 को बरामद किया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 15.06.2026 को थाना कोतवाली पर वादी द्वारृ प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 13.06.26 को मैने अपनी बाइक रात में घर के सामने खड़ी किया था। सुबह जब देखा तो मेरी मोटर साईकिल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गयी थी। इस तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकत कर विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 16.06.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम के उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह मय हमराह के देखभाल क्षेत्र,तलाश वांछित अभियुक्त व पेंडिंग विवेचना सम्बन्धित मु0अ0सं0-217/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 मे रेलवे क्रासिंग गाधी नगर में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त राज किशोर यादव उर्फ नान्हक यादव पुत्र बच्चा यादव निवासी पिपरा थाना दुबहड़ जनपद बलिया उम्र करीब 25 वर्ष को समय 4.20 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मो0सा0 ग्लैमर UP60Z7915 को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

<u>सम्बन्धित अभियोग-</u>

1.मु0अ0सं0-217/2026 धारा 303(2) बढोत्तरी धारा 317(2), 317(4), 3(5) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली बलिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

1. राज किशोर यादव उर्फ नान्हक यादव पुत्र बच्चा यादव निवासी पिपरा थाना दुबहड़ जनपद बलिया उम्र करीब 25 वर्ष

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0स0 52/2018 धारा 120बी/201/302/34/364 भादवि थाना दुबहड़ जनपद बलिया

2. मु0अ0स0 97/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना हल्दी जनपद बलिया

<u>बरामदगी-</u>

1. 01 अदद मो0सा0 ग्लैमर UP60Z7915

<u>04.श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आयुध अधि0 के मामले में 01 नफर अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारागार में बितायी गयी अवधि व 500/ (पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।</u>

दिनांक 16.06.2026 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना फेफना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-167/2009 की धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट में 01 नफर अभियुक्त 1. सुजीत कुमार सिंह उर्फ परमात्मानन्द सिंह निवासी औदी थाना फेफना जनपद बलिया को मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद बलिया द्वारा-

धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल द्वारा बितायी गयी अवधि व 500/ (पाँच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री पी.एन. स्वामी